न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
344 / 2024	24.12.2024	15.12.2025

पीठासीन अधिकारी—श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— रामभरोस पुत्र श्री पत्ता जाति केवट
2— रामरूप पुत्र मांगीलाल जाति केवट
3— रामराज पुत्र मांगीलाल जाति केवट
4— नन्द किशोर पुत्र मांगीलाल जाति केवट
5— शिवराज पुत्र मांगीलाल जाति केवट निवासीगण फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान।

(वादीगण)

बनाम

1— ग्यारसीराम पुत्र बिरधीलाल जाति केवट
2— घनराज पुत्र बिरधीलाल जाति केवट
3— रामावतार पुत्र बिरधीलाल जाति केवट
4— लटूरलाल पुत्र पन्ना जाति केवट
5— रामप्रताप पुत्र चतरा जाति केवट
6— रमेश पुत्र चतरा जाति केवट
7— रामनिवास पुत्र चतरा जाति केवट
8— रामभरोस पुत्र सूरजमल जाति केवट
9— भैरू सिंह सूरजमल जाति केवट
10— मुकेश कुमार पुत्र सूरजमल जाति केवट
11— दिलराज पुत्र सूरजमल जाति केवट निवासीगण रोड़गंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा
12— कुंजबिहारी पुत्र रामभरोस जाति केवट
13— कैलाशचन्द पुत्र रामभरोस जाति केवट
14— जमनाबाई बेवा मांगीलाल जाति केवट
15— बिरजी बाई बेवा मांगीलाल जाति केवट
16— मनभर पुत्री पत्ता जाति केवट निवासीगण फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
17— राजूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति केवट निवासी रोडगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा
18— मुकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति केवट निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
19— रामसरण पुत्र रामचन्द्र जाति केवट निवासी रोडगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
20— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से —श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1 ता 20 की ओर से — श्री पंकज मेघवाल एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>निर्णय</u>

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

यह कि ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खाता संख्या 19 पुराना 22 खसरा न0 141 रकबा 0.29 है0 खसरा न0 160 रकबा 0.18 है0 खसरा न0 271 रकबा 1.07 है0 खसरा न0 280 रकबा 1.14 है0 खसरा न0 320 रकबा 0.67 है0 खसरा न0 371 रकबा 0.74 है0 खसरा न0 382 रकबा 2.45 है0 कुल 7 किता रकबा 6.54 है0 भूमी स्थित है। जो प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्मत 2074 से 2077 संलग्न है।

यह कि वाद पत्र में सुक्खा जी के परिवार का शजरा निम्न प्रकार से है। जो इस प्रकार है—

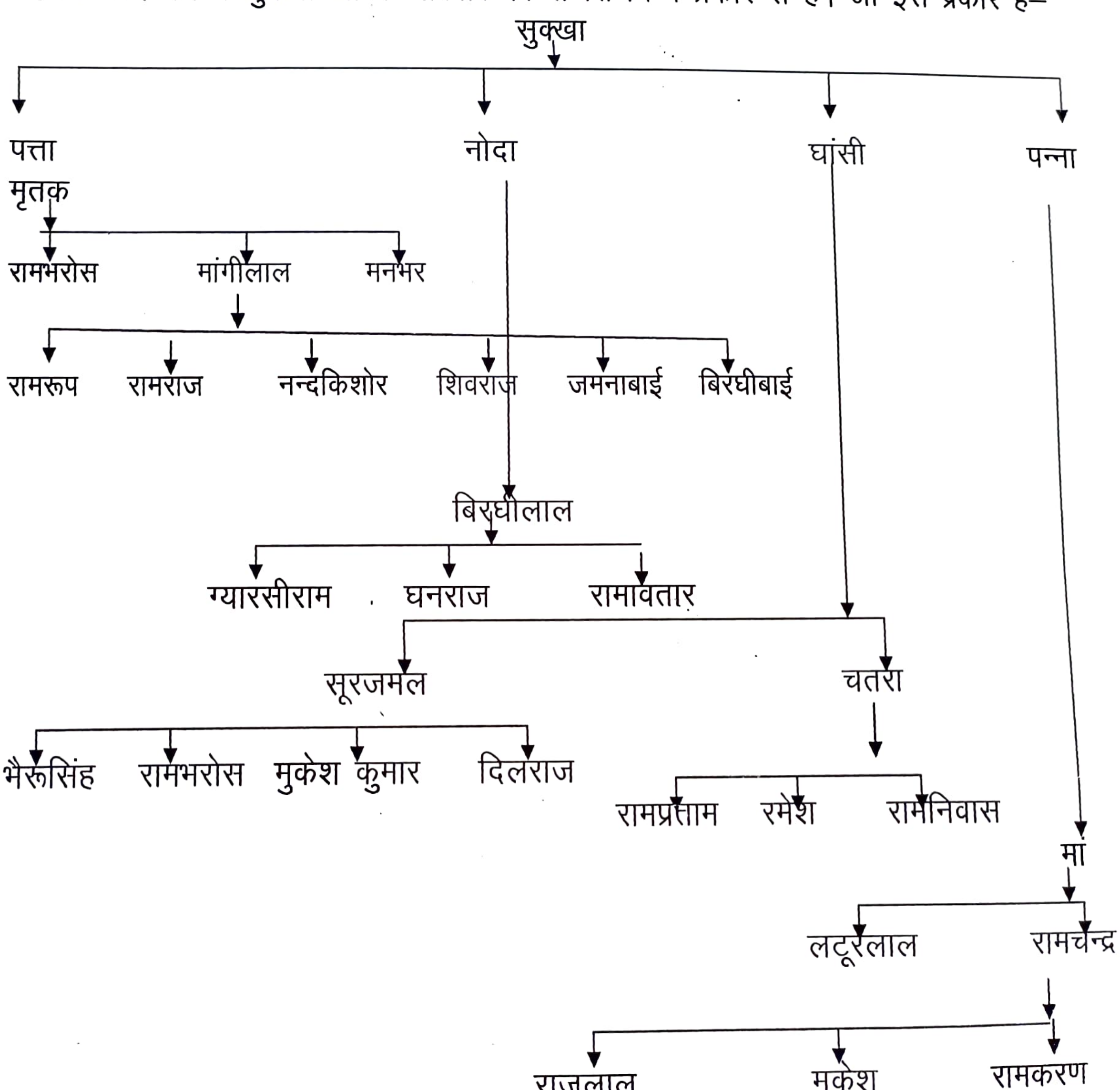

यह कि उपरवर्णित आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा न0 129 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वां खसरा न0 145 की 1 बीघा 2 बिस्वां खसरा न0 247 की 8 बीघा 18 बिस्वां खसरा न0 255 की 6 बीघा 16 बिस्वां खसरा न0 294 की 3 बीघा 7 बिस्वां खसरा न0 340 की 4 बीघा 7 बिस्वां खसरा न0 348 की 11 बीघा 17 बिस्वां कुल 7 किता 37 बीघा 9 बिस्वां भूमी दर्ज थी। जो वादीगण व प्रतिवादीगण 14 लगायत 16 के पिता, दादा, ससुर, पत्ता जी के व प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज चली आ रही है।

यह कि उपरवर्णित आराजी पूर्व मे घांसी, नोदा, पन्ना, पत्ता पुत्र सुक्खा जाति कीर के नाम दर्ज थी। किन्तु सेटलमेन्ट कार्य के द्वोरान वादीगण व प्रतिवादीगण 14 लगायत 16 के पिता, दादा, ससुर, पत्ता जी नाम दर्ज होंने से रह गया यानि वादीगण के पिता व दादा का नाम पत्ता जी दर्ज नही हुआ। और वादीगण के दादा, पिता पत्ता जी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता नोदा, पन्ना के ज्यादा हिस्सा दर्ज हो गया एवं सेटलमेन्ट कार्य मे वादीगण के पिता व दादा जी का नाम खाते से हटा दिया गया जब कि वादीगण आज भी अपने 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहें है।

यह कि प्रतिवादीगण का नाम वादीगण के हिस्से मे दर्ज हो जाने व वादीगण के पिता व दादा पत्ता जी का नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण आराजी में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण का नाम फायदा उठाकर वादीगण के काश्त करने में व्यवघान उत्पन्न करते है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण व प्रतिवादी न0 20 को कहीबार प्रार्थना पत्र पेश करने पर भी आज तक वादीगण के पिता व दादा का नाम प्रतिवादी न0 20 के द्वारा दर्ज नही किया न ही वादीगण के पिता व दादा के हिस्से में नाम दर्ज नही किया इस कारण वादीगण को अधिकार प्राप्त है। वह अपने पिता व दादा पत्ता जी जगह खातेदार घोषित होने के अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

यह कि ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा मे स्थित खसरा न0 10 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 12/1004 रकबा 0.54 है0 खसरा न0 3/1024 रकबा 0.20 है0 खसरा न0 3/1026 रकबा 0.14 है0 खसरा न0 8 रकबा 0.81 है0 कुल 5 किता रकबा 1.75 है0 भूमी नोंदा पुत्र सुक्खा के नाम दर्ज है। नोंदा जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 ही उक्त भूमी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जो खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणो से अपने पिता व दादा के नाम व उनके नाम की जगह अपना नाम दर्ज करवाने के लिये कही मर्तबा कहां व प्रतिवादी न0 20 के यहां भी कही बार प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु वादीगण का नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया जो अन्तिम बार दिनांक 22/11/2024 को मना किया तथा उक्त आराजी को अन्यत्र जगह बेचान कर देने की धमकी देने पर वादीगण का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण दिनांक 22/11/2024 को वादीगण का नाम खाते मे दर्ज करवाने से इन्कार करने एवं उक्त आराजी को अन्यत्र जगह बेचान करने की धमकी देने पर वाद कारण पैदा हुआ है। यह कि प्रतिवादी नं0 20 रजिसटेड ऑफ राजस्थान भूमि की लेण्ड हॉल्डर होने

वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया है। चूंकि मामला अर्जेन्ट नेचर एवं इमीजिएड रिलीफ से बंधित होने के कारण प्रतिवादी नं0 20 को धारा 80 उपधारा (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिवादी को दावा प्रस्तुत करने के पूर्व दो माह का नोटिस दिये जाने से एक्जम्पाशन फरमाया जावे तथा बिना नोटिस दिये ही दावा प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावें। और बिना नोटिस दिये धारा 80 (2) आवेदन के साथ वाद प्रस्तुत है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगणों के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–

कि ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खाता संख्या 19 पुराना 22 खसरा न0 141 रकबा 0.29 है0 खसरा न0 160 रकबा 0.18 है0 खसरा न0 271 रकबा 1.07 है0 खसरा न0 280 रकबा 1.14 है0 खसरा न0 320 रकबा 0.67 है0 खसरा न0 371 रकबा 0.74 है0 खसरा न0 382 रकबा 2.45 है0 कुल 7 किता रकबा 6.54 है0 भूमी मे वादीगण व प्रतिवादीगण 14 लगाय 16 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं वादीगण व प्रतिवादीगण 14 लगायत 16 के दादा पिता ससुर पत्ता जी के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावे। एवं प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 को मृतक नोंदा जी के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी न0 4 व 17 लगायत 19 के पिता नोदा व पन्ना जी के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावें प्रतिवादी न0 5 लगायत 7 को चतरा जी व व प्रतिवादी न0 8 लगायत 11 को सुरजमल जी के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे।

कि वादीगण व प्रतिवादी 14 लगायत 16 के दादा पिता ससुर पत्ता के 1/4 हिस्से को वर्तमान में दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादीगण 14 लगायत 16 खातेदार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 व 17 लगायत 19 के पिता नोदा व पन्ना का ज्यादा हिस्सा कम किया जावें। प्रतिवादीगण बेचान खुर्द बुर्द अन्तरण नहीं करें। कि ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खसरा न0 10 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 12/1004 रकबा 0.54 है0 खसरा न0 3/1024 रकबा 0.20 है0 खसरा न0 3/1026 रकबा 0.14 है0 खसरा न0 8 रकबा 0.81 है0 कुल 5 किता रकबा 1.75 है0 भूमी मे प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 को खातेदार घोषित किया जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:–

1– नकल जमाबन्दी प्रति सेटेलमेन्ट से पूर्व
2– नकल पटटा प्रति सेटेलमेन्ट केचमेन्ट
3– नकल सेटलमेन्ट जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर खुश्क
4– नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम फतेहपुर खुश्क
5– नकल मृत्यु प्रमाण पत्र
6– नकल मिलान क्षेत्रफल
7– नकल जमाबन्दी प्रति ग्राम छीपड़दा

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर अधि0 श्री पंकज मेघवाल ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया जाता है प्रतिवादीगण के जवाब दावा अनुसार– ग्राम फतेहपुर खुश्क की भूमि में हमारे दादा सुक्खा जी की भूमि है सुक्खा जी के चार वारिसान है। जो पन्ना, नोदा, घांसी एवं पत्ता

जो पत्ता का नाम सेटलमेन्ट के बाद नहीं है इस कारण वाद पत्र में पत्ता के वारिसान का 1/4 हिस्सा दर्ज करने से कोई आपत्ति नही है तथा छीपडदा की भूमि मद नं0 6 में वर्णित भूमि प्रतिवादी 1 ता 3 को खातेदार घोषित करने आपत्ति नहीं है एवं मृतक पन्ना, नोंदा, घांसी के वारिसान को जो वाद पत्र में है। खातेदार घोषित करने हमें आपत्ति नहीं है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री करने पर हमें आपत्ति नहीं है।

पत्रावली बहस पर नियत की गई। बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी के अधिवक्ता से करवायी गयी। वादी साक्ष्य में वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य शपथ–पत्र PW-1 रामरूप आत्मज मांगीलाल PW-2 रामभरोस आत्मज पत्ता जो शामिल फाईल किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में आद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं मनन करने से हम निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण की सहमति होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खाता संख्या 19 पुराना 22 खसरा न0 141 रकबा 0.29 है0 खसरा न0 160 रकबा 0.18 है0 खसरा न0 271 रकबा 1.07 है0 खसरा न0 280 रकबा 1.14 है0 खसरा न0 320 रकबा 0.67 है0 खसरा न0 371 रकबा 0.74 है0 खसरा न0 382 रकबा 2.45 है0 कुल 7 किता रकबा 6.54 है0 भूमी मे वादीगण व प्रतिवादीगण 14 लगाय 16 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं वादीगण व प्रतिवादीगण 14 लगायत 16 के दादा पिता ससुर पत्ता जी के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावे। एवं प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 को मृतक नोंदा जी के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी न0 4, 17 लगायत 19 को पन्ना जी के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावें प्रतिवादी न0 5 लगायत 7 को चतरा जी व व प्रतिवादी न0 8 लगायत 11 को सुरजमल जी के स्थान पर तथा ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खसरा न0 10 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 12/1004 रकबा 0.54 है0 खसरा न0 3/1024 रकबा 0.20 है0 खसरा न0 3/1026 रकबा 0.14 है0 खसरा न0 8 रकबा 0.81 है0 कुल 5 किता रकबा 1.75 है0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। नियमानुसार राजस्व शुल्क बनता है तो वसूल किया जावें। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– रामभरोस पुत्र श्री पत्ता जाति केवट
2– रामरूप पुत्र मांगीलाल जाति केवट
3– रामराज पुत्र मांगीलाल जाति केवट
4– नन्द किशोर पुत्र मांगीलाल जाति केवट
5– शिवराज पुत्र मांगीलाल जाति केवट निवासीगण फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान।

(वादीगण)

बनाम

1– ग्यारसीराम पुत्र बिरघीलाल जाति केवट
2– घनराज पुत्र बिरघीलाल जाति केवट
3– रामावतार पुत्र बिरघीलाल जाति केवट
4– लटूरलाल पुत्र पन्ना जाति केवट
5– रामप्रताप पुत्र चतरा जाति केवट
6– रमेश पुत्र चतरा जाति केवट
7– रामनिवास पुत्र चतरा जाति केवट
8– रामभरोस पुत्र सूरजमल जाति केवट
9– भैरू सिंह सूरजमल जाति केवट
10– मुकेश कुमार पुत्र सूरजमल जाति केवट
11– दिलराज पुत्र सूरजमल जाति केवट निवासीगण रोडगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा
12– कुंजबिहारी पुत्र रामभरोस जाति केवट
13– कैलाशचन्द पुत्र रामभरोस जाति केवट
14– जमनाबाई बेवा मांगीलाल जाति केवट
15– बिरजी बाई बेवा मांगीलाल जाति केवट
16– मनभर पुत्री पत्ता जाति केवट निवासीगण फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
17– राजूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति केवट निवासी रोडगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा
18– मुकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति केवट निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
19– रामसरण पुत्र रामचन्द्र जाति केवट निवासी रोडगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
20– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से –श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 1 ता 20 की ओर से – श्री पंकज मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89 188 आर.टी.एक्ट

मिसल नं 344/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खाता संख्या 19 पुराना 22 खसरा न0 141 रकबा 0.29 है0 खसरा न0 160 रकबा 0.18 है0 खसरा न0 271 रकबा 1.07 है0 खसरा न0 280 रकबा 1.14 है0 खसरा न0 320 रकबा 0.67 है0 खसरा न0 371 रकबा 0.74 है0 खसरा न0 382 रकबा 2.45 है0 कुल 7 किता रकबा 6.54 है0 भूमी मे वादीगण व प्रतिवादीगण 14 लगाय 16 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं वादीगण व प्रतिवादीगण 14 लगायत 16 के दादा पिता ससुर पत्ता जी के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावे। एवं प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 को मृतक नोंदा जी के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी न0 4, 17 ता 19 को पन्ना जी के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावें प्रतिवादी न0 5 लगायत 7 को चतरा जी व व प्रतिवादी न0 8 लगायत 11 को सुरजमल जी के स्थान पर तथा ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खसरा न0 10 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 12/1004 रकबा 0.54 है0 खसरा न0 3/1024 रकबा 0.20 है0 खसरा न0 3/1026 रकबा 0.14 है0 खसरा न0 8 रकबा 0.81 है0 कुल 5 किता रकबा 1.75 है0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। नियमानुसार राजस्व शुल्क बनता है तो वसूल किया जावें। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 15.12.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	0

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	0